



कार्यालय नगर परिषद, खगौल

E-mail :- nagarparishadkhagaul@gmail.com

पत्रांक 623 दिनांक 04/06/2025

फॉर्म-VIII- क
भवन की परमिट के अनुमोदन का फॉर्म
उपविधि संख्या-8(4)

आप के आवेदन संख्या - NPK/Badalpura Saidpura/Res./B+G+6/169/2024-25 तिथि - 20.12.2024 के संदर्भ में श्री/श्रीमति **Vijay Kumar Rai and Others(Developer-Jai Sri Shyam Homes Pvt.Ltd.)** के लिए

(क.) आवासीय भवन के निर्माण

खगौल नगर परिषद बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम 2012 के अधीन अधिसूचित नगर विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के आवासीय प्लॉट नं० (सी०एस०) - 246,393 खाता नं०- 80,86, सर्किल नं०-00, होल्डिंग नं०- 00, वार्ड नं०- 00, तौजी नं०-535, थाना नं०-51,52 मौजा- बदलपुरा-सैदपुरा, मोहल्ला- बदलपुरा-सैदपुरा के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है :-

- (क.) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से B+G+6 आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख.) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठानकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग.) अनुमोदित योजना में दर्शाता गया 1356.61 वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ.) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 16.64 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ.) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च.) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत के अधीनस्थ खगौल नगर परिषद आयोजना क्षेत्र में आवेदक द्वारा कोई भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में नहीं दी गई है।
- (छ.) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
- (ज.) इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखंड जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो,

- (झ.) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बात कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- (ञ.) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
- (ट.) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जाये, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ठ.) Environmental Protection Act के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ड.) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management Rules) 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (ढ.) ग्रीन-एरिया का प्रावधान बिहार भवन उप-विधि 2014 के कडिका-32 के अनुरूप निर्माण परिसर में किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ण.) भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व बाहरी दिवारों पर अनिवार्य रूप से प्लास्टर भू-स्वामियों द्वारा किया जायेगा। उक्त अवधि के अंदर भू-स्वामियों के द्वारा यह कार्य नहीं कराए जाने पर नगर निकाय द्वारा यह कार्य कराया जा सकेगा जिसकी वसूली संबंधित भू-स्वामी से की जाएगी।

विश्वासभाजन

नगर कार्यपालिका अधिकारी
नगर परिषद, खगौर
20/05/2017